

आदेश नं इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलकटर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रांतीय  
प्रकरण संख्या 107/2024 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेसन)

मुष्टुट हाफसिंग फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड, 1डी-10, ब्राउण्ड फ्लोर, श्री आशापुर एनक्लेव, चित्रकुट, प्रताप  
स्टेडियम के सामने, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बन्नाम

1. श्री सुरजान सिंह मीना पुत्र श्री राम सिंह मीना,

पता - P37718, NARENDRA PALACE, CIVIL LINES TAMBARAM, DOMESTIC AIRPORT ROAD,  
KANCHI PURAM, CHENNAI, TAMILNADU

एवं WARD NO. 8, DHAND KI PAL, KARNAWAR, DAUSA

एवं & 4 EMBL, T R, 3<sup>RD</sup> FLOOR, NEW ATS COMPLEX, HEENA BAKKAM DOMESTIC AIRPORT, CHENNAI,  
TAMILNADU

एवं PLOT NO. 26 & 27, RAM NAGAR VISTAR, VILL HEERAWALA, TEHSIL BASSI, DISTRICT JAIPUR.

2. श्रीमती सरोज देवी मीना पत्नी श्री सुरजान सिंह मीना,

पता - P37718, NARENDRA PALACE, CIVIL LINES TAMBARAM, DOMESTIC AIRPORT ROAD,  
KANCHI PURAM, CHENNAI, TAMILNADU

एवं WARD NO. 8, DHAND KI PAL, KARNAWAR, DAUSA

एवं PLOT NO. 26 & 27, RAM NAGAR VISTAR, VILL HEERAWALA, TEHSIL BASSI, DISTRICT JAIPUR.

3. श्री राम सिंह मीना पुत्र श्री हरबख मीना,

पता WARD NO. 8, DHAND KI PAL, KARNAWAR, DAUSA

एवं PLOT NO. 26 & 27, RAM NAGAR VISTAR, VILL HEERAWALA, TEHSIL BASSI, DISTRICT JAIPUR.

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement  
of Security Interest Act, 2002

1. श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश


दिनांक 13.06.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री सुरजान सिंह मीना के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 26 एवं 27, राम नगर विस्तार, ग्राम हीरावाला, तहसील बस्सी, जयपुर, क्षेत्रफल 232.12 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 31.12.2022 को राशि 24,87,089/- रुपये, दिनांक 15.03.2023 को राशि 14,67,924/-रुपये, कुल राशि 39,55,013/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

445  
विमला चंदिरा  
अधिवक्ता जयपुर (प्रार्थी)



- Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 39,55,013/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 42,22,703.50/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
  4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री सुरजान सिंह मीना के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 26 एवं 27, राम नगर विस्तार, ग्राम हीरावाला, तहसील बस्सी, जयपुर, क्षेत्रफल 232.12 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
  6. आदेश आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला पजिस्ट्रार  
 जयपुर (ग्रामीण)